भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1327

(03 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पक्की सड़क हेतु योजना

1327. **श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:**

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक पुलियों और क्रॉस-ड्रेनेज संरचना युक्त संपर्क से वंचित 1.5 लाख से अधिक बस्तियों को पक्की सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो औरंगाबाद में छत्रपति संभाजी नगर और महाराष्ट्र के मुंबई और दादरा और नगर हवेली सहित विभिन्न राज्यों का राज्य-वार, जिला-वार और सड़क-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित सड़कों का चयन पांच सौ से अधिक की आबादी वाले स्थानों , बाजारों तक पहुंच और शैक्षिक और चिकित्सा सुविधाओं की निकटता जैसे मानदंडों पर आधारित है;

(घ) पांच साल की प्रारंभिक अवधि पूरी होने के बाद रखरखाव के लिए पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित करने के उपाय क्या हैं; और

(ङ) ग्रामीण सड़कों का इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव (ईएमएआरजी) प्रणाली का तरीका क्या है; और

(च) महाराष्ट्र और दादरा और नगर हेवली का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ग) भारत सरकार ने सितंबर 2024 में पीएमजीएसवाई के IV चरण को मंजूरी दी है , ताकि 2011 की जनगणना के अनुसार मैदानी इलाकों में 500+, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 250+, विशेष श्रेणी क्षेत्रों (आदिवासी अनुसूची V, आकांक्षी जिले/ब्लॉक , रेगिस्तानी क्षेत्र) में 250+ और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 100+ आबादी वाले 25,000 सड़क संपर्कविहीन बसावटों को बाहरमासी सड़क संपर्क प्रदान किया जा सके। पीएमजीएसवाई-IV के पूरा होने की समय-सीमा मार्च 2029 है।

राज्यों द्वारा ग्राम सड़क सर्वेक्षण ऐप के उपयोग से पात्र सड़क संपर्क विहीन बसावटों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ रूप से समन्वय कर रहा है तथा आवश्यक सहायता उपलब्ध करा रहा है। पीएमजीएसवाई के IV चरण के अंतर्गत परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

(घ) से (च) पीएमजीएसवाई के दिशानिर्देशों के अनुसार , कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकारों है। पीएमजीएसवाई सड़कों का निर्माण राज्य सरकारों द्वारा कम से कम 10 वर्ष की डिजाइन अवधि के साथ किया जाता है। डिज़ाइन अवधि के दौरान सड़कों के रखरखाव की लागत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में शामिल होती है।

पीएमजीएसवाई के मानक बोली दस्तावेज के अनुसार , पीएमजीएसवाई के सभी सड़क कार्य उसी ठेकेदार के निर्माण अनुबंध के साथ किए जाते हैं , जो प्रारंभिक पांच वर्षीय दोष दायित्व अवधि (डीएलपी)) रखरखाव अनुबंधों में शामिल होते हैं। अनुबंध की पूर्ति के लिए रखरखाव निधि का बजट राज्य सरकारों द्वारा तैयार किया जाना आवश्यक है तथा इसे राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों (एसआरआरडीए) के पास एक अलग रखरखाव खाते में रखा जाना अपेक्षित है। दोष दायित्व अवधि की समाप्ति पर , पीएमजीएसवाई सड़कों को क्षेत्रीय रखरखाव अनुबंधों के तहत रखा जाना अपेक्षित है , जिसमें समय-समय पर चक्र के अनुसार नवीनीकरण सहित 5 वर्ष का रखरखाव शामिल है।

डीएलपी और डीएलपी के बाद के चरण में पीएमजीएसवाई सड़कों के रखरखाव की आईटी आधारित निगरानी के लिए ग्रामीण सड़कों का इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव (ई मार्ग) शुरू किया गया है। ठेकेदार को भुगतान ई-मार्ग के माध्यम से किया जाता है , जो सड़क की मौजूदा स्थिति, उसके क्रॉस ड्रेनेज कार्यों और यातायात परिसंपत्तियों पर आधारित है।

महाराष्ट्र सहित राज्यों ने डीएलपी और डीएलपी के बाद की अवधि के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्यों को अपने निधि मांग प्रस्तावों के साथ कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार रखरखाव निधि के उचित निधि जारी करने को प्रमाणित करना भी आवश्यक है।

रखरखाव निधि के उपयोग की समीक्षा विभिन्न स्तरों पर राज्यों के साथ आयोजित बैठकों में की जाती है। कमियों को राज्यों के ध्यान में लाया जाता है तथा उन्हें दूर करने तथा सड़कों का बेहतर रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की मांग की जाती है।

दादरा और नगर हवेली में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कोई कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है। महाराष्ट्र में 5 वर्षीय डीएलपी रखरखाव के तहत कार्यों का विवरण जिला-वार अनुबंध में दिया गया है।

*****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 03.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1327 के उत्तर के भाग (घ) से (च) में संदर्भित अनुबंध।

महाराष्ट्र राज्य में 5 वर्ष के डीएलपी रखरखाव के लिए ई-मार्ग पर सड़कों का विवरण			
क्र सं	**जिले**	**सड़के**	**लंबाई (कि.मी.)**
1	अहिल्यानगर	10	72.54
2	अकोला	7	90.51
3	अमरावती	27	168.72
4	छत्रपति संभाजी नगर	17	103.13
5.	बीड	6	36.95
6	भंडारा	17	100.45
7	बुलढाना	7	43.55
8	चंद्रपुर	14	86.85
9	धुले	4	19.63
10	गडचिरोली	76	289.66
11	गोंदिया	25	156.17
12	हिंगोली	18	119.52
13	जलगांव	24	156.94
14	जलना	17	86.59
15	कोल्हापुर	12	60.08
16	लातूर	8	62.59
17	नागपुर	16	99.44
18	नांदेड़	10	74.25
19	नंदुरबार	30	246.56
20	नासिक	22	142.03
21	धाराशिव	2	15.70
22	पालघर	1	5.45
23	परभनी	2	8.04
24	पुणे	6	28.90
25	रायगढ़	1	7.37
26	सतारा	2	9.97
27	सिंधुदुर्ग	4	19.05
28	सोलापुर	21	137.18
29	थाइन	1	4.68
30	वर्धा	16	110.33
31	वाशिम	5	26.79
32	यवतमाल	24	181.30
कुल योग		**452**	**2770.92**